न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 26/2013

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. नरेन्द्रसिंह 2. गोपालसिंह पुत्र श्री रेवतसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम रामासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. हुक्मसिंह पुत्र श्री मालमसिंह 2. चनणसिंह पुत्र श्री मदनसिंह 3. समदरसिंह पुत्र श्री हीरसिंह 4. कंचन कंवर पत्नी श्री भगवानसिंह 5. दयालसिंह 6. रामसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह 7. कर्णसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह 8. दिलीपसिंह पुत्र श्री हीरसिंह 9. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री समदरसिंह 10. छत्रसिंह पुत्र श्री हिन्दूसिंह 11. गिरीराज सिंह 12. भवानीसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह 13. छैलसिंह 14. अर्जुनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह 15. महावीरसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह 16. दशरथसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह 17. शक्तिसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह सभी जातियान राजपूत निवासीगण रामासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 18. प्रबंधक, यूको बैंक शाखा भावी 19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :—वादीगण की ओर से श्री डी.डी. एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 1 से 18 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या 19 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत होने पर मिसल को ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण विश्लेषण एवं निष्कर्ष इस प्रकार हैः— प्रार्थी नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी रामासनी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें जाहिर किया कि कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा सं. 360 रकबा 152 बीघा 04 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ स्थित हैं। सम्पूर्ण उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 की सहखातेदारी की कब्जा सुदा भूमि हैं जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 का है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 ने वादग्रस्त भूमि का आपसी रजामंदी से मौके पर बंटवाड़ा कर रखा हैं। वादीगण उनके 1/3 हिस्से की भूमि पर मौके पर अलग काबिज है। उक्त बंटवाड़ा अलिखित होने के कारण राजस्व रेकर्ड में इसका इन्द्राज नहीं करवाया जा सका। महल पक्षकारान अपनी सुविधानुसार मौके पर अलग मेड़बन्दी पर काबिज हैं। प्रतिवादीगण सं. 9 से 17 का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है तथा उनका वादग्रस्त भूमि में कभी भी कोई हक हिस्सा उजर या दखल किसी भी रूप में नहीं रहा है। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 9 के खातेदारी अधिकार उनके हिस्से तक

समान रूप में निहित हैं तथा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण सं. 10 से 17 तक का कतई कोई हक हिस्सा नहीं है इसके उपरान्त वे वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के खातेदारी अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं तथा हाल ही में उन्होंने दिनांक 08.08.2013 को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के खातेदारी अधिकारों को ऐलानिया इन्कार कर दिया तथा जबरन वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हिस्से की भूमि में जबरन अनाधिकृत मजमा बनाकर प्रवेश कर गये एवं जेसीबी मशीन से देशी बबूल व अंग्रेजी बबूल इत्यादि के पेड़ जबरन उखाड़ दिये तथा वादग्रस्त भूमि को खुर्दबुर्द कर वादीगण को करीब 25 हजार रूपयों का नुकसान पहुंचाया तथा समझाईश पर भी नहीं माने व ऐलानिया कहा कि वे वादग्रस्त भूमि से वादीगण को हर हाल में बेदखल कर देगे जिस पर वादीगण की ओर से अन्य प्रतिवादीगण को भी इस बारे में अवगत कराया एवं बंटवाड़ा करवाने का कहा जिस पर उन्होंने कतई कोई कार्यवाही नहीं की अन्ततः वादीगण की ओर से मौजूद वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कतई अधिकार नहीं हैं तथा उनका उक्त कृत्य संयुक्त खातेदारी भूमि के संयुक्त कब्जे की अवधारणा एवं वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विपरित हैं एवं अवैध हैं। ऐसी दशा में वादीगण को मौजूदा वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा हाल में दिनांक 08.08.2013 को वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में बंटवाड़ा करने का कहने तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने एवं इसी क्रम में वादग्रस्त भूमि में जबरन प्रवेश कर भूमि को नुकसान पहुंचाने पर बमुकाम रामासनी पैदा हुआ जा सतत् जारी है। वाद में प्रतिवादीगण सं. 18 के यहां वादग्रस्त भूमि रहन दर्ज होने से उन्हें वाद मं औपचारिक पक्षकार संयोजित किया गया है तथा प्रतिवादी सं. 19 भूमिधारी होने से उन्हें वाद में औपचारिक पक्षकार संयोजित किया गया है जिनके विरूद्ध वाद में कोई विशेष अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। जिससे उन्हें दावा पूर्व विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। अन्त में वादपत्र पेश कर वादीगण की प्रार्थना हैं कि सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में से वादीगण को उनके 1/3 हिस्से की भूमि को माप एवं सीमांकन के आधार पर अलग बंटवाड़े में प्रदान की जाकर इसी कदर राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु प्रतिवादीगण सं. 19 को आदेशित किया जावें। बंटसुदा वादीगण की भूमि में उनके कब्जे में किसी भी रीति से दखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने तथा खर्चा हर्जा वाद प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 23.03.2017 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 360 रकबा 152 बीघा 04 बिस्वा में से वादीगण के 1/3 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के 1/3 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया था। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया जिसके तहत ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा के खसरा सं. 360/1 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हुकमसिंह पुत्र मालमसिंह 253/507, चनणसिंह पुत्र मदनसिंह 126/507, समदरसिंह पुत्र हीरसिंह 128/507=1/6, कंचन कंवर पत्नी भगवानसिंह, दयालसिंह, रामसिंह पुत्र भगवानसिंह 1/6, कर्णसिंह पुत्र सवाईसिंह 1/6, दिलीपसिंह पुत्र हरीसिंह लक्ष्मणसिंह पुत्र समदरसिंह 1/6 नरेन्द्रसिंह गोपालसिंह पुत्र रेवतसिंह 1/3 जाति राजपूत सा. रामासनी संयुक्त खातेदारी बंट में रखी गयी। खसरा सं. 360 रकबा 100 बीघा 2 बिस्वा हुकमसिंह पुत्र मालमसिंह 253/507, चनणसिंह पुत्र मदनसिंह 126/507, समदरसिंह पुत्र हीरसिंह 128/507=1/4, कंचन कंवर पत्नी भगवानसिंह, दयालसिंह, रामसिंह पुत्र भगवानसिंह 1/4, कर्णसिंह पुत्र सवाईसिंह 1/4, दिलीपसिंह पुत्र हरीसिंह लक्ष्मणसिंह पुत्र समदरसिंह 1/4 जाति राजपूत सा. रामासनी संयुक्त खातेदारी बंट में रखी गयी। खसरा स. 360/2 रकबा 0.05, खसरा सं. 360/7 रकबा 0.13 कुल

खसरा 2 रकबा 18 बिस्वा नरेन्द्रसिंह गोपालसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति राजपूत सा. रामासनी संयक्त खातेदारी बंट में रखी गयी। खसरा सं. 360/4 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं. 360/5 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा 2 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा नरेन्द्रसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति राजपूत सा. रामासनी खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 360/3 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं. 360/6 रकबा 12 बीघा कुल खसरा 2 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा गोपालसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति राजपूत सा. रामासनी खातेदार के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है।बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करने का आदश दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
ब इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. नरेन्द्रसिंह 2. गोपालसिंह पुत्र श्री रेवतसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम रामासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. हुक्मसिंह पुत्र श्री मालमसिंह 2. चनणसिंह पुत्र श्री मदनसिंह 3. समदरसिंह पुत्र श्री हीरसिंह 4. कंचन कंवर पत्नी श्री भगवानसिंह 5. दयालसिंह 6. रामसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह 7. कर्णसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह 8. दिलीपसिंह पुत्र श्री हीरसिंह 9. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री समदरसिंह 10. छत्रसिंह पुत्र श्री हिन्दूसिंह 11. गिरीराज सिंह 12. भवानीसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह 13. छैलसिंह 14. अर्जुनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह 15. महावीरसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह 16. दशरथसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह 17. शक्तिसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह सभी जातियान राजपूत निवासीगण रामासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 18. प्रबंधक, यूको बैंक शाखा भावी 19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 26/2013

निर्णय **दिनांक :–**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री डी.डी. रामावत अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 18 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 19 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा के खसरा सं. 360/1 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हुकमसिंह पुत्र मालमसिंह 253/507, चनणसिंह पुत्र मदनसिंह 126/507, समदरसिंह पुत्र हीरसिंह 128/507=1/6, कंचन कंवर पत्नी भगवानसिंह, दयालसिंह, रामसिंह पुत्र भगवानसिंह 1/6, कर्णसिंह पुत्र सवाईसिंह 1/6, दिलीपसिंह पुत्र हरीसिंह लक्ष्मणसिंह पुत्र समदरसिंह 1/6 नरेन्द्रसिंह गोपालसिंह पुत्र रेवतसिंह 1/3 जाति राजपूत सा. रामासनी संयुक्त खातेदारी बंट में रखी गयी। खसरा सं. 360 रकबा 100 बीघा 2 बिस्वा हुकमसिंह पुत्र मालमसिंह 253/507, चनणसिंह पुत्र मदनसिंह 126/507, समदरसिंह पुत्र हीरसिंह 128/507=1/4, कंचन कंवर पत्नी भगवानसिंह, दयालसिंह, रामसिंह पुत्र भगवानसिंह 1/4, कर्णसिंह पुत्र सवाईसिंह

1/4, दिलीपसिंह पुत्र हरीसिंह लक्ष्मणसिंह पुत्र समदरसिंह 1/4 जाति राजपूत सा. रामासनी संयुक्त खातेदारी बंट में रखी गयी। खसरा स. 360/2 रकबा 0.05, खसरा सं. 360/7 रकबा 0.13 कुल खसरा 2 रकबा 18 बिस्वा नरेन्द्रसिंह गोपालसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति राजपूत सा. रामासनी संयक्त खातेदारी बंट में रखी गयी। खसरा सं. 360/4 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं. 360/5 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा 2 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा नरेन्द्रसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति राजपूत सा. रामासनी खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा सं. 360/3 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं. 360/6 रकबा 12 बीघा कुल खसरा 2 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा गोपालसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति राजपूत सा. रामासनी खातेदार के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है।बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करने का आदश दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा